ority is that of defence and that is being looked into.

Some hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: Next Question—we must try to finish ten questions at least. I would ask hon. Members to be brief in their supplementaries.

कृषि ऋण निगम

\+

*299. **श्री रामसेवक यादव :**
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री बोध हंसदा :
श्री यशपाल सिंह :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री मलाइछामी :
श्री बृजराज सिंह :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्यों में कृषि ऋण निगम बनाने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो ये निगम बनाने के क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) ये निगम किन राज्यों में बनाये जायेंगे ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) to (c). The matter is under consideration.

श्री रामसेवक यादव : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि यह मामला विचाराधीन है । मैं यह जानना चाहता हूं कि ऋण देने के लिए ये जो निगम स्थापित किये जायेंगे, क्या इस के सम्बन्ध में ऐसे राज्यों को प्राथमिकता दी जायेगी जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं या ये निगम सभी राज्यों में समान रूप से स्थापित किये जायेंगे ?

श्री ब० रा० भगत : अभी सिफारिश यह है कि आसाम, बिहार, उड़ीसा, वैस्ट बंगाल और राजस्थान, इन पांच राज्यों और मणिपुर और त्रिपुरा, इन यूनियन टेरीटरीज में ऐसे निगम स्थापित किये जायें, जहां सहकारिता के द्वारा कर्ज की व्यवस्था का ठीक प्रचार नहीं है, ताकि किसानों को अधिक कर्ज मिले । हम इस विषय में राज्य सरकारों के साथ सलाह-मश्वरा कर के कोई निर्णय करेंगे ।

श्री रामसेवक यादव : मैं यह जानना चाहता हूं कि ये कृषि ऋण देने के सम्बन्ध में जमींदारों, भूमिधरों और साधारण किसानों में कोई भेद होगा, या ये ऋण सभी किसानों को दिये जायेंगे—क्या इस सम्बन्ध में इस तरह की कोई कैटेगरी तय की जायेगी कि छोटे किसानों को अनिवार्य रूप से कर्ज दिया जाये, ताकि सब लोगों को फायदा पहुंच सके, यदि हां, तो क्या कर्ज के लिए कोई जमानत वगैरह की व्यवस्था होगी या जमीन के आधार पर ही कर्ज दे दिया जायेगा ।

श्री ब० रा० भगत : सहकारिता के क्षेत्र में भी जमीन के आधार पर कर्ज देने में एक दिक्कत यह महसूस की गई है कि जिस किसान के पास ज्यादा जमीन है, उस को ज्यादा कर्ज मिल जाता है । इसलिए इस बात की कोशिश की जायेगी कि क्राप (फसल) की सिक्युरिटी ले कर भी कर्ज दिया जा सके ।

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय ने फसल के आधार पर ऋण देने की बात कही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सभी राज्यों में यह व्यवस्था लागू की जायेगी और किस मौसम से लागू की जायेगी ?

श्री ब० रा० भगत : दूसरे राज्यों में को-आपरेटिव समितियों के द्वारा फ़सल के आधार पर कर्ज देने की व्यवस्था की जा रही है ।

श्री यशपाल सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस निगम के कार्यों में और एग्रीकल्चर रिफ़िनांस कारपोरेशन के कार्यों में क्या अन्तर होगा ?

श्री ब० रा० भगत : यह निगम अल्पकालीन कर्जों की व्यवस्था करेगा, जब कि रिफ़िनास कारपोरेशन दीर्घकालीन और मध्यकालीन कर्जों की व्यवस्था करेगी ।

श्री हिम्मतसिंहका : जब तक इस निगम की स्थापना नहीं होती है, तब तक बिहार में एग्रीकल्चरिस्ट लोगों को कर्ज देने का क्या इन्तजाम हो रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : अभी वहां को-आपरेटिव सोसायटीज और को-आपरेटिव बैंकों के द्वारा कर्ज देने की व्यवस्था है, लेकिन समझा गया है कि बिहार ऐसा प्रान्त है, जहां यह निगम स्थापित किया जाये ।

Shri Man Sinh P. Patel: In view of the fact that animal husbandry work, especially dairy schemes are not being financed by the central co-operative organisations, may I know whether the Government is contemplating to include dairying work also under the Credit Corporation?

Shri B. R. Bhagat: If it qualifies for that, if it is a short-term work it will be financed; if it is a long-term work it will be financed through other agencies.

श्री काशीराम गुप्त : अभी मंत्री महोदय ने बताया है कि यह निगम अल्पकालीन ऋण देने के लिए होगा । राजस्थान में तो को-आपरेटिव बैंक भी अल्पकालीन ऋण देते हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस विषय में उन से क्या भेद रहेगा और यह निगम विशेष तौर से किस तरह के अल्पकालीन ऋण देगा ?

श्री ब० रा० भगत : राजस्थान में अभी सहकारी समितियों के द्वारा जितना कर्ज मिल रहा है, वह काफ़ी नहीं समझा गया है । सलिए यह निगम उन की पूर्ति करेगा ।

श्री काशीराम गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि दो एजेन्सीज रखने की क्यों जरूरत पड़ेगी और एक एजेन्सी के द्वारा यह काम क्यों नहीं होगा ।

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीनारायण दास— नैक्स्ट क्वैस्चियन ।

Transport requirements of Metropolitan Cities

*300. **Shri Shri Narayan Das:**
Shri Karni Singhji:
Shrimati Jyotsna Chanda:

Will the Minister of **Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an expert Study Team has been set up by the Committee on Plan Projects to assess the transport requirements of the four metropolitan cities of Delhi, Bombay, Calcutta and Madras and also on the rationalisation of fare structure in the different cities; and

(b) when their report is likely to be out?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat): (a) Yes, Sir. An expert Study Team has been set up by the Committee on Plan Projects, to assess the transport requirements of the metropolitan towns of Delhi, Bombay, Calcutta and Madras. A statement indicating the terms of reference and the composition of the Study Team is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-5178/65].

(b) The Study Team had its first formal meeting only very recently and the scope and extent of the work involved are being assessed. As such, it is rather difficult at this stage to indicate when the report will be out.

Shri Shree Narayan Das: In view of the fact that the Committee on Plan Projects has been entrusted with the task of examining the existing projects with a view to finding out whether any economy or change could be made to implement the schemes, I